RSS/2R/4.00/

SHRI D.RAJA (CONTD.): India is a country with tremendous diversities, India is a country of composite culture, and this Tamil culture must be understood in a proper historic perspective, and appreciated. That is how the young people stood together and fought for jallikattu. Sir, let us understand that jallikattu became a turning point in the polity of Tamil Nadu, in the polity of the whole country, and it has made tremendous impact on the thinking of political parties and politicians in this country, and the young people of Tamil Nadu. They did not stop with jallikattu only. They said, "Let us say no to Pepsicola. Let us promote indigenous drinks." This is what the young people of Tamil Nadu declared. They said, "Come on, let us say no to Pepsicola. Why should we promote such drinks? We can promote indigenous drinks." That is a campaign going on. Now, she spoke. She is from that district. Thamirabarni river is there, and even I have my own understanding of law. The court, somehow, allowed the Cola company and other companies to take huge amount of water. So, what is going to happen to our water resources? So, we are talking about cattle. Yes, we should increase the population of our cattle. Our cattle population should increase,

and we should also protect and preserve our water bodies and water sources.

Having said that, Sir, now, I take the point what our friend, Mr. Jairam Ramesh, has touched upon. Yes, it is 1960 law, and yes, we should be worried about cruelty to animals, cruelty to human beings, and we should be worried on both counts. But, what do you mean by cruelty to animals? That is the point. I can be more objective than Mr. Jairam Ramesh. I do not own land. I do not own cattle. So, I can be more objective. What do you mean by cruelty to animals? Because, I see in Tamil Nadu in the houses of farmers, agriculture workers, cattle are there around. Cows, bulls, buffalos, they are all living as family members. They live within house premises, and they take care of these animals. This jallikattu is a sport; it is a game only at the time of Pongal festival which is the main festival of Tamil people. During that period also, people decorate these cattle, cows, bulls and buffalos. They give them good bath; they paint their horns; they garland them, they take them around, and they treat them as human beings that way. They are all family members. They are all family animals. So, let us not get into that argument as though it is cruelty to animals. What do we mean by cruelty? That is the point, and that is where the case went to the Supreme Court, that is where

the case went to the court, the Judiciary, and that is where the State Government had to intervene in the situation, and the State Government had to take the opinion of all political parties. That is where the elected State Legislative Assembly had to take up this issue, and had to pass its own law in the State Legislative Assembly. So, we are a country who believe in the rule of law; we are a country having our own Constitution, we should respect our Constitution. That is why, there is an Act called the Prevention of Cruelty to Animals Act. This is an Act of the Parliament, and if there is a need to amend this Act of Parliament, this Parliament is supreme; this Parliament is competent to do that. That is why, my friend, Mr. Tiruchi Siva, has brought this issue for the consideration of this Parliament.

(contd. by 2s/KGG)

KGG-HMS/2S/4.05

SHRI D. RAJA (contd.): We will have to stand by the rule of law. I go by Mr. Jairam Ramesh. Why should we have an Act of Parliament? Why should we have Constitution? Why should we have Judiciary? We are bound by Parliament Acts. This Parliament Act needs certain Amendments in a changed situation, at a time when we need to acknowledge and appreciate the great diversities of our country. This law needs certain appropriate

Amendments. That is why he has brought this up. It is for the Government to take this in a proper perspective. This Parliament has to consider this. I am saying that it is not only for Tamil Nadu. Tomorrow, it can be for some other State also; maybe, for Karnataka or for some other States. After all, we are a civilized country and we can't have a kind of authoritarian rule. We have to go by certain laws. The civilized society, the civilized nation needs civilized laws. That is where this Act needs certain Amendments at this point of time.

Once again, I salute the young people of Tamil Nadu who have given a proper expression to the aspirations and to the cultural values of Tamil Nadu. It applies to all parts of our country, to all the young people. We will have to come forward taking up such issues in the interest of the country and its progress. I appreciate this Resolution. I urge upon the Government to give due consideration to this Resolution. Thank you.

(Ends)

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात) : उपसभापति जी, आदरणीय तिरुची शिवा जी जो संकल्प लेकर आए हैं, उसके संदर्भ में इस सदन में सभी ने अपनी बात रखने का प्रयत्न किया है। मैं भी इस संदर्भ में अपने मन के विचार से जुड़ी कुछ बातें यहां रखना चाहूंगा।

महोदय, शिवा जी द्वारा यह संकल्प पेश किए जाने के संबंध में उनका ध्येय क्या है, इस बारे में श्री जयराम रमेश जी ने बताया कि उनका ध्येय कुछ और है और यहां बिल में संशोधन लाने के लिए ध्येय, पशु पर क्रूरता के संदर्भ में कुछ और बताया जा रहा है। महोदय, भारतीय परम्परा में कृषि और ऋषि की संस्कृति को बहुत महत्व दिया गया है और हमारे यहां कृषि और ऋषि आधारित संस्कृति पर देश और गांव जी रहे हैं। महोदय, कृषि के आधार पर जीने वाले लोग गाय को मानते हैं, पूजते हैं और हमारे शास्त्रों में तो गाय के लिए "गावो विश्वस्य मातरः" कहा गया है, मतलब गाय पूरे विश्व की माता है। महोदय, गाय का दूध संपूर्ण आहार की श्रृंखला में आता है। उसके गोखल के सेवन से मानव जीवन को बहुत आरोग्य मिलता है। इस से लगभग 75 प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। आज के जमाने में ऑर्गेनिक फूड और जहां हम chemical fertilizers का उपयोग करते हैं, उससे हमें शुद्ध, सात्विक खाद्य पदार्थ नहीं मिलते जब कि गाय के गोबर के प्रयोग से अच्छे खाद्य और सब्जी मिलती है। मगर जैसा कि आदरणीय जयराम रमेश जी ने बताया, उसके संदर्भ में मैं इस सदन के माध्यम से कुछ और बात रखना चाहता हूं। मैं गुजरात से आता हूं। हमारे यहां एक मंदिर में कुछ महीने पहले एक हाथी को permission लेकर पाला गया, लेकिन उसे केवल पालने के लिए नहीं पाला गया था, हाथी को गणपति का अवतार मानने वाले लोगों ने गणपति को भगवान मानते हुए उसकी पूजा करने के लिए वहां रखा था। अब उसके ऊपर वहां पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत एक केस हो गया। उस समय मेरे ध्यान में एक किस्सा और आया। महोदय, हम घोड़े का प्रयोग बग्घी के लिए करते हैं और यहां जो पशुओं की बात करते हैं, उन

पर क्रूरता के संदर्भ में बात रखते हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय जीवन पद्धति और ज्ञान में धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि ...

(2 टी/एएससी पर जारी)

ASC-KLS/4.10/2T

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (क्रमागत) : 84 लाख प्रकार की योनियों के जीव इस धरती पर पनपते हैं। मनुष्य के अलावा उनमें जितने भी जीव हैं, उनकी चार कोटि में अलग-अलग प्रकार से गणना की गई है। हम लोग जब पशुओं की बात करते हैं, तो पशुओं के संदर्भ में वन्य जीवन के आधार पर रहने वाले पशुओं की अलग बात है और मानव द्वारा परिपालित होने वाले पशुओं का उपयोग होता है। यहां गाय का उपयोग होता है, बैलों का उपयोग होता है, भैसों का उपयोग होता है, भेड़-बकरियों का उपयोग होता है। भेड़ों का ऊन के लिए उपयोग होता है, इसलिए हम उसका परिपालन करते हैं। हम बकरियों को भी पालते हैं और हम यहां यातायात के प्रयोग हेतु घोड़ों को भी पालते हैं। हम यहां इस तरह के विचार के लिए इकट्ठा होकर यह सोच रहे हैं और आदरणीय शिवा जी ने जो यह संकल्प लिया है, यह अच्छा संकल्प है।

जहां तक गौ-संवर्धन की बात है, जहां तक भारतीय परम्परा की बात है, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में अलग से उत्सव होते होंगे, हमारे यहां गुजरात में अलग से उत्सव होते हैं। हमारे यहां भी पशुओं के लिए उत्सव मनाये जाते हैं। हमारे यहां त्योहार मनाए जाते हैं तथा पशुओं को पूजा जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। जहां तक पशु क्रूरता अधिनियम की बात है और उसमें सुधार लाने की बात है, तो इस बारे में

मेरा स्पष्ट रूप से यह मत है कि वन्य जीवन के आधार पर जीने वाले जो पशु हैं, उनके लिए अलग से संशोधन होना चाहिए और जो मानव द्वारा पालित पशु हैं, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं तथा जिनका हम कृषि क्षेत्र में अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, ऐसे पशुओं के लिए अलग से संशोधन होना चाहिए।

महोदय, आदरणीय शिवा जी जल्लीकट्टू के संदर्भ में जिस ध्येय से यह संकल्प लाए हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय परम्परा में जितने भी उत्सव हैं, जितने भी त्योहार हैं, वे मूल रूप से मानव जीवन में अपने धर्म की स्थापना के लिए और अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए रखे हुए हैं, यदि आप उस संदर्भ में भी यह संकल्प लाए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी सराहना करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Elangovan. You have only two minutes. ...(Interruptions)...

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (TAMIL NADU): Thank you, hon. Vice-Chairman, Sir. While I rise to support Mr. Tiruchi Siva, I have to make certain clarifications in this House as a reply to my hon. colleague, Shri Jairam Ramesh. Rukmani Devi Arundale was a resident of Chennai. She might have insisted for an Act, Prevention of Cruelty to Animals Act, but did not talk about Jallikattu at that time. It means she knows what is Jallikattu. Sir, he also said he knows Thirukkural, Silappadikaram and other things. There is

one Thirukkural which I want to quote. (**Please fill in Tamil**) which means *maadu* is cattle in Tamil. Education is the most invaluable among all wealth, rest are not wealth. Cattle are called as wealth. That was the only wealth of the people of Tamil Nadu in the rural areas. Even today there are temple bulls in every village which will not be touched upon. Those bulls can do any atrocity. They can go to any field to eat. Nobody will touch it, nobody will question it. If somebody tries to throw stone on a bull, that fellow will be sent out of the village. That is how bulls are treated in Tamil Nadu. Sir, this Jallikattu is part of a celebration with the bulls. It is not cruelty to bulls. The question which I want to raise is this. He raised the point that there should be an amendment. Hon. Jairam Ramesh did one thing successfully by stating that it is not the subject for the Minister of Agriculture, so he can go. He wanted Environment Minister to come back. The Minister also left. Sir, we need an amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have to conclude now.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: In one minute, I will conclude. There is a need for an amendment to the Prevention of Cruelty to Animals Act. One point about which we have doubt is that this amendment was made by the

Government of India on the advice of PETA, an organization where an American citizen is the Chief Executive Officer.

(Contd by 2U/SSS)

SSS-LT/2U/4.15

SHRI T. K. S. ELANGOVAN (CONTD.): This American citizen is challenging every Tamilian. Sir, a festival, a cultural festival can support commercialism, but a cultural festival should not be stopped for the sake of commercialism. *Jallikattu* should not be stopped for the sake of killing Indian animal bulls and bringing Jersey Bulls. That is not the way. We want an amendment to the Prevention of Cruelty to Animals Act. Shri Siva talked much about agriculture, farming and everything, but the ultimate idea is to see that *Jallikattu* is performed because the most petted animal in Tamil Nadu are the bulls. The most pampered animal in Tamil Nadu are the bulls. So, this amendment should be made. With these words, Sir, I conclude. Thank you. ...(Interruptions)...

(Ends)

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: If PETA enforces this, the bulls can be included in the Prevention of Cruelty to Animals Act. At that time, the UPA-II brought it. At that time DMK was also a part of that. So, we wanted to..

SHRI TIRUCHI SIVA: This is totally unwarranted.

SHRI T. K. S. ELANGOVAN: Don't challenge us. When we were in power, *Jallikattu* was there. When they came to power, it was stopped.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): We will not go into that. ...(Interruptions)... Okay, please sit down. ...(Interruptions)...

(Ends)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री तिरुची शिवा द्वारा निजी सदस्य संकल्प में आग्रह किया गया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उन उपबंधों के अनुप्रयोग से बैलों को छूट देने के लिए, जो उन्हें खेती एवं परिवहन जैसे कृषि कार्यों के निष्पादन में विभिन्न तकनीकों द्वारा प्रशिक्षण देकर उनकी उपयोगिता एवं प्रशिक्षण से रोकते हैं, में उपयुक्त संशोधन करें; संशोधित पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करें और कृषि प्रयोजनों हेतु स्वदेशी मवेशियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार एवं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाएं।

इस संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 को अधिनियमित एवं क्रियान्वित कर रहा है, इसलिए भाग (क) और (ख) मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं। हालांकि पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग कृषि प्रयोजनों हेतु देशी गोपशुओं के प्रयोग

को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने तथा उनकी उत्पादकता, स्वास्थ्य और संख्या में सुधार हेतु पहले से ही योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दिसम्बर, 2014 में देश में पहली बार विशिष्ट रूप से देशी बोवाईन नस्लों के विकास के लिए और संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है। इस योजना में गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है। अब तक कुल 14 गोकुल ग्राम स्वीकृत किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 27 राज्यों से आए 35 प्रस्तावों को 582.09 करोड़ की राशि के साथ स्वीकृत किया गया है।

(KLG/2W पर जारी)

KLG-NBR/2W/4.20

श्री सुदर्शन भगत (क्रमागत): जिसमें से 216.6 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इससे तमिलनाडु को 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन कार्यक्रम (एनपीबीबी) को फरवरी, 2014 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के द्वार पर प्रजनन आदानों की सुपुर्दगी के माध्यम से बोवाईन आबादी का आनुवांशिक उन्नयन करना है। साथ ही जैविक खेती के विकास के लिए देश में एक नई योजना "परंपरागत कृषि विकास योजना" प्रारंभ की गई।

महोदय, राष्ट्रीय डेयरी योजना-1, विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय डेयरी योजना को फरवरी, 2012 में प्रारंभ किया गया। यह योजना गौ-पशुओं तथा भैंसों की 12 देशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित करती है। देश में दुग्ध का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए और दुग्ध उत्पादन को किसानों के लिए

लाभकारी बनाने के लिए नई योजना "राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन" की शुरुआत की गई है। योजना में चार घटक शामिल हैं । पहला, पशु संजीवनी, इसके तहत पशु स्वास्थ्य पत्र (नकुल स्वास्थ्य पत्र), साथ ही साथ पशु यूआईडी (पशु आधार) द्वारा पशुओं की पहचान शामिल है। इस योजना के तहत 8.8 करोड़ दुधारू पशुओं की पहचान की जा रही है और उनका डाटा INAPH डाटा बेस में अपलोड किया जा रहा है। दूसरा, उन्नत प्रजनन तकनीक, तीसरा, देशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाईन जेनॉमिक केन्द्र की स्थापना और चौथा, ई-पशुधन हाट पोर्टल, देश में पहली बार राष्ट्रीय इस तरह का पोर्टल स्थापित किया गया है।

मंत्रालय द्वारा डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण देशी बोवाईन नस्लों समेत पशुधन संख्या के बीच रोगों के नियंत्रण और रोकथाम हेतु कार्यान्वित की जा रही है।

महोदय, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही उपरोक्त योजनाओं में तेजी से की कार्यवाही एवं प्रगति के आलोक में मैं माननीय सदस्य से अपने इस संकल्प को वापस लेने की अपील करता हूँ।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Tiruchi Siva, are you withdrawing your Resolution, or, should I put it to vote?

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Sir, before that, I wish to say a few words.

First of all, I thank all the hon. Members. Sir, around ten hon. Members have deliberated on this Resolution for which I am very, very thankful.

The intention behind moving this Resolution was interpreted in another manner by my esteemed colleague and former Minister, Shri Jairam Ramesh. I don't deny it. Yes; my intention is for *Jallikattu.* But, at the same time, you cannot undermine my advocacy for organic farming and to protect and preserve indigenous cattle. It is no less than that. For example, as I said, while moving my Resolution, we have to preserve the traditional and ancient form of agricultural methods in our country. And, Sir, due to introduction of modern farm equipment, so many people have been displaced, lost jobs and, moreover, cattle are becoming extinct. Secondly, chemical fertilizers and pesticides which we are using are contaminating groundwater, spoiling soil, depleting water table and whatever it produces is very, very harmful to the health of people.

(CONTD. BY PB/2X")

PB/2x/4.25

SHRI TIRUCHI SIVA (CONTD.): So, considering all these aspects, I am saying this. I agree with what my senior colleague, Mr. Oscar Fernandes, told me. When we revert back to the traditional form of agricultural methods, we will fall short of the requirement, the mismatch between demand and supply. But we have to find some other ways. We cannot totally give-up that. See, I don't want to leave moveable and immovable property to my children in the future. I want to live them in a world where they can have good water, good food and in a very hygienic atmosphere. Everyone of us has got that responsibility. We all think that we are leaving some estate to our people. No, that won't make them to live happily. After some ten or twenty years, in the present situation, they will be having oxygen cylinders to breathe. War will break out for the sake of water. So also, food will be in a very big demand. When the population in our country is increasing, the agricultural lands or cultivable lands are coming down. The production has to be increased. So, whatever we produce should be healthy in nature. That is the main reason for my bringing or moving this Resolution. I think, when the Minister replied, he was very much concerned about the cattle. I am concerned about the indigenous cattle. The imported or the other

breeds like Jersey, Persian and all these breeds or even insemination bulls which are being brought will totally spoil our country, the health of our people as well as the cattle. So, my foremost reason is that.

The second is, one of my points in this Resolution was to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act. Why have I brought that? The Tamil Nadu Government has enacted a law unanimously and it has been, of course, supported by the Central Government also that Jallikattu can be performed and that Cruelty to Animals Act will not be a hindrance to that. But why then I move it again here? As my colleague, Mr. Raja, pointed out, it is an Act of Parliament and the Parliament can any time by way of another amendment supersede the Act which was passed by the Assembly. Moreover, the Act which was passed by the Assembly can be challenged in a court of law, and why I am concerned, I want to be very explicit. Only one Member spoke against this Resolution and that too only on one point. On the surface of it, he appeared to be very low but, at the end, he said, just by way of taking out bulls, don't open the gate or don't take us back to the barbarian society. I don't understand how. Sir, he said that I have not gone through the Prevention of Cruelty to Animals Act fully well. Of course, I may not like you because you were a Minister. You were concerned with that.

But, as a Member of Parliament, I have gone to the extent I need to. Section 22 empowers the Central Government and Section 24 of the PC Act talks about, 'Power of Court to prohibit or restrict exhibition and training of performing animals.' Training of Performing Animals is one category and when you are using a bull for ploughing, when you are using it for transportation, the man on the cart will be whipping. Will you say that it is a cruelty to the animal? Yes, they will. Only in 2011, when he was the Minister for Environment — there is nothing wrong in that; it is a history — the Notification was made. Section 22 says, 'No person shall exhibit or train (i) any performing animal unless he is registered in accordance with the provisions of this Chapter; (ii) as a performing animal, any animal which the Central Government may, by notification in the official gazette, specify as an animal which shall not be exhibited or trained as a performing animal.' Sir, the Gazette Notification by the Central Government in the year 2011 -- when he was the hon. Minister -- included it. See which are the animals in that? They are 'Bears, Monkeys, Tigers, Panthers, Lions and last of all 'Bulls'. Sir, all the other animals are forest animals, whereas, bull is being domesticated. It is used for agricultural purposes. Why should it be brought into that? That is what my colleague, Mr. Elangovan, said. Some organization which has its

headquarters in USA is deciding what should happen in India. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: No, no. That is not true. ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: I don't mean 'you'. I don't mean 'you'. Who is challenging it again and again in the court of law? It is that organization which is interested in this. I don't blame you. You have done something when you were in the office. That's all.

(Contd. by 2y/SKC)

SKC/2Y/4.30

SHRI TIRUCHI SIVA (contd.): But who is challenging it again and again? It is the PETA, an organization which has its headquarters in the USA. Now, what interest do they have in India? They want to kill our traditional forms of agriculture.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, a Cabinet Minister of this Government is also in agreement on this.

SHRI TIRUCHI SIVA: I shall come to that point later.

So, they want to kill traditional methods of agriculture in our country. Now, we are cutting down some *karuvelam* trees in Tamil Nadu. These trees had been planted by the US. There are many other things, like *Pepsi*,

that the hon. Member here mentioned. They are bringing all these things here to spoil the health of the people of our country. They are only commercializing things. It is in an attempt to do so that they want to take away our bulls. This would mean that people would not nurture them and they won't need them for agricultural purposes when trends change. When tractors were being brought in, I said that it consumed more of fossil fuel and that it was hazardous. We experience global warming only because of the excessive use of fossil fuels. We have many conventions taking place all over the world to ponder over bringing down global warming, which country needs to cut down what emissions, and so on. But no country is prepared to do that, whereas the farmers are being forced to do away with traditional methods of farming. Tractors came in and fossil fuels came in, which emit so many Greenhouse gases. So, that needs to be restored. They are attempting at this. When bulls are not used for agriculture, farmers won't rear them. When *jallikattu* is banned, they would not tame bulls for sport. When they are not available for breeding cows, artificial insemination would come in. So, there would be no need for rearing bulls after some time. We could then tell our children in some exhibition, 'this is a bull; this is what was found in our country once!' Do you want that to happen? So, bulls need not

be brought in the category of 'performing animals'. We don't perform anything anywhere. For that matter, what is happening with elephants? They are tied with iron chains in the temples. They are used for begging on the streets. Why have they not paid attention to them? It is a forest animal. When they did not pay attention to the elephants, why are they paying attention to the bulls?

Sir, through a Notification in the Gazette in 2011, bulls were brought in. After that, our Party, when we were in power in Tamil Nadu, bypassed this Notification and conducted *jallikattu* with permission from the Court, though with some restrictions. Of course, we have been partners with them, but we were able to perform the *jallikattu* sport with the permission of the Court, with the restrictions that they had imposed. We abided by those rules and conducted the sport. After the next Government took over, they were not able to continue the sport. That is a different matter. In the year 2016, when Shri Prakash Javadekar was the Environment Minister, another Gazette Notification came, which said very clearly, "Provided that bulls may be continued to be exhibited or trained as a performing animal at events such as '*Jallikattu*' in Tamil Nadu and 'bullock cart races' in Maharashtra, Karntaka, Punjab, Haryana, Kerala and Gujarat in the manner by the

customs of any community or practised traditionally under the customs or as a part of culture in any part of the country subject to the following conditions..."

Sir, I thank Mr. Prakash Javadekar for having brought out this Notification. Now, I think, Mr. Jairam Ramesh would agree that I have gone through the Bill. I have gone through the Gazette Notification and also the Supreme Court judgement which followed that. It says that after Mr. Prakash Javadekar brought out this Notification in the Gazette, it was challenged in the court of law by PETA. Now, let me quickly quote what the hon. Supreme Court said, "As an interim measure, we direct that there shall be stay on Notification dated 7th January, 2016, issued by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, until further orders." So, it was stayed. A big agitation came up in Tamil Nadu, on a scale that no one had ever witnessed in the past. It was a silent protest. Students, youngsters, women and even small children participated in the agitation, because they were concerned about the culture. Some people may say that they didn't need it, for one or the other reason. But people are concerned. India is basically a nation of varied cultures. It has got a tradition of its own. We

have never been a capitalist country. We have never been a country with commercial basics. We live on the lines of tradition. So, Tamil Nadu witnessed a very big agitation and the Tamil Nadu Government passed an Act unanimously. I am afraid, Sir, that it may again be challenged in a court of law.

(CONTD. BY USY/2Z)

USY-RPM/2Z/4.35

SHRI TIRUCHI SIVA (CONTD.): Or, in future, I don't hesitate to say, if Shri Jairam Ramesh becomes the Minister of Environment and Forests may again impose something to ban *Jallikatu*. So, I have to be very cautious. ...(Interruptions)... In a democratic country, it may happen. If he or any like-minded person becomes the Minister -- unlike Shri Prakash Javadekar, who is very cordial with us — then there may be ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I think, you should conclude now.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it is a very serious issue. Either he or anyone like him may again come here. Or, it can also be challenged in the court of law. In that situation, I move this Resolution in this House that necessary amendments should be made and bulls must be exempted from the

performing animals and it should be incorporated in the Ninth Schedule of the Constitution. That is my main emphasis in this Resolution. If it is included in the Ninth Schedule of the Constitution, it cannot be challenged in the court of law. We have got an experience. The Reservation Policy in Tamil Nadu was incorporated in the Ninth Schedule of the Constitution after great efforts. We don't want to witness agitations in Tamil Nadu every year. Of course, we agitate in a peaceful manner. But, it does not mean that we should agitate again and again. When the Parliament is here to enact laws; when the Government is here to do certain things, the Members also have some responsibility. In that respect, I would like to move this Resolution that necessary amendments should be made in the PCA to exempt bulls as performing animals and also incorporate it in the Ninth Schedule of the Constitution to enable *Jallikatu* to be performed as well as to encourage organic farming and to protect and preserve the indigenous cattle in our country. The bulls are becoming an extinct species. I am very much worried about that. Everyone is worried about that. I am very, very thankful to all the Members who expressed their concern and supported my Resolution. So, I am compelled to move my Resolution for adoption.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी): सर, ऑनरेबल तिरुची शिवा जी ने जो प्राइवेट मैम्बर रिजॉल्यूशन रखा है, उसमें बहुत अच्छे सजैशन्स हैं। Some suggestions are very good and fruitful for us also गवर्नमेंट द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनमें रिफॉर्म्स और अच्छी चीजें जोड़ने का एक अनवरत प्रोसेस होता है और उसमें कहीं कोई बाधा नहीं होती। श्री तिरुची शिवा ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, जिन्हें हम डेफिनिटली ध्यान में रखेंगे। इसमें बहुत अच्छे सुझाव हैं, जिन्हें ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनिटली आपके जो सजैशन्स हैं, जो सुझाव हैं, जो आपने इस बिल में रखे हैं, उन्हें हम बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेंगे। इसलिए सर, हमारी आपके माध्यम से श्री तिरुची शिवा अपील है कि वे इस रिजॉल्यूशन को विदड्रॉ करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): So, Mr. Siva, with the assurance given by the Government, are you withdrawing your Resolution or should I put it to vote?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I am very much appreciative and thankful to the hon. Minister for Parliamentary Affairs. He is always very much compassionate. Since the assurance has been given on behalf of other Minister, I am afraid what we will be able to do if something happens in future. In that situation, agitations cannot be made again and again. I think, it can unanimously be adopted. There is nothing wrong in it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI GIRIRAJ SINGH): Mr. Siva, everybody is supporting you; the whole House is supporting you. सारे लोग आपके साथ हैं। इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं होती है। ...(व्यवधान)...

श्री नारायण लाल पंचारिया : हम सब लोग आपके साथ हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I take the words of the Minister. And, since many hon. Members are supporting me, I should also consider it. I think, the message should be strong enough from the Government that my Resolution will be taken into consideration and necessary amendments will be made in the PC Act and it will be incorporated in the Ninth Schedule of the Constitution.

(Contd. by 3a – HK)

HK-PSV/3A/4.40

SHRI TIRUCHI SIVA (CONTD.): If that assurance is given, I am prepared to withdraw this.

SHRI JAIRAM RAMESH: Also, there is no possibility of my becoming the Minister of Environment once more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Has he the leave of the House to withdraw the Resolution?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): सर, मैंने पहले भी कहा है कि ऑनरेबल तिरुची शिवा जी के बहुत से अच्छे सजेशंस हैं। जब भी एप्रोप्रिएट टाइम होगा, उस समय हम लोग उस पर भी कंसिडर करेंगे। यह बहुत क्लियर कट बात है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): इसलिए पूरा हाउस आपके साथ है।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I withdraw this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Has he the leave of the House to withdraw the Resolution?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, we have another Resolution of Shri Vishambhar Prasad Nishad regarding need to take welfare measures for farmers in Bundelkhand region and steps for overall development of the region.

RESOLUTION RE: NEED FOR TAKING WELFARE MEASURES FOR FARMERS IN BUNDELKHAND REGION AND STEPS FOR OVERALL DEVELOPMENT OF REGION

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं अपना निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँः-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि-

(क) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे, बाढ़, पाला पड़ने व ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो जाने से उनमें निराशा उत्पन्न हो रही है;

(ख) इस क्षेत्र में उ. प्र. के सात जिले अर्थात् झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश के सात जिले अर्थात् छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, दतिया और ग्वालियर शामिल हैं;

(ग) पिछले कई दशकों से बुन्देलखण्ड के किसान लगातार रोजगार की तलाश में बाहर पलायन कर रहे हैं;

(घ) बुन्देलखण्ड में जंगली जानवरों व 'नीलगायों' से किसानों की फसलों का भारी नुकसान होने से उनमें हताशा उत्पन्न हो रही है;

(ड.) बुन्देलखण्ड क्षेत्र मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहने वाला कृषि क्षेत्र है और फसलें मुख्यतः मानसून पर निर्भर होती हैं जिससे उपज एवं आय में अनियमितता के कारण किसानों का जीवन अनिश्चित हो जाता है और जीना दूभर हो जाता है;

(च) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगातार पड़ रहे भयंकर सूखे के कारण फसलों की उपज निरंतर कम होती जा रही है जिसके फलस्वरूप किसान खेती से लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे हैं;

(छ) इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों और कुटीर उद्योगों की कमी के कारण रोजगार और वित्तीय आय की बहुत कमी है;

(ज) नकदी फसलों के प्रतिकूल मूल्य निर्धारण तथा कारोबार के खुलेआम शोषण के कारण कृषि एक घाटे का कार्य बन गया है और यह उ.प्र. के किसानों में व्याप्त ऋण भार तथा हताशा का प्रमुख कारण है;

सभा की यह राय है कि -

(i) क्षेत्र में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए;

(ii) बुन्देलखण्ड के चित्रकूट, बांदा तथा सतना क्षेत्र में केन्द्रीय पुलिस बल का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाना चाहिए जिससे कि क्षेत्र के किसानों को सुरक्षा मिल सके;

(iii) बुन्देलखण्ड में किसानों से ऋण वसूली समाप्त कर कर्ज माफ करना चाहिए तथा उन्हें कृषि हेतु खाद, बीज व बिजली मुफ्त दी जानी चाहिए;

(iv) बुन्देलखण्ड के किसानों को पचास हजार करोड़ रुपयों का पैकेज दिया जाना चाहिए जिससे क्षेत्र के बहुत सारे अधूरे पड़े कार्य पूरे होने में सहायता मिलेगी और संवहनीय फसल संवर्द्धन, वृहत्-सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं तथा क्षेत्र में अवसंरचना के विकास से संबंधित अन्य योजनाओं में सहायता मिलेगी;

(v) वृद्ध किसानों की वृद्ध पत्नियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पांच सौ करोड़ रुपयों का एक पृथक कोष बनाया जाना चाहिए क्योंकि हजारों वृद्ध महिलाओं व विधवाओं को एक राहत और पुनर्वास पैकेज की बड़ी आशा है;

(vi) जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वादा किया था, सरकार को एक मूल्य स्थिरता कोष और कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करनी चाहिए, सूखा संभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई एवं जल संभरण योजनाएं शुरू करनी चाहिए, ऋण बहाली के लिए नई और वृहद नाबार्ड निधि की स्थापना करनी चाहिए और भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए कदम उठाए जाने चाहिए;

(vii) सूखे के कारणों के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और इसके प्रभाव को कम करने के लिए बुआई के उचित समय की भविष्यवाणी की जानी चाहिए और वर्षा जल का समुचित प्रबंधन और फसल की निगरानी की जानी चाहिए;

(viii)बुन्देलखण्ड के सभी गरीबों एवं मजदूरों के बारे में सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और उसके आधार पर बी.पी.एल. कार्ड एवं निःशुल्क आवास व शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए;

(ix) केन्द्र सरकार को जंगली जानवरों व नील गायों द्वारा फसलों की बर्बादी की रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए;

(x) केन्द्र सरकार को दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क खाद और बीज उपलब्ध कराने चाहिए;

(xi) जनपद बांदा के ग्राम ऑगासी के समीप यमुना नदी पर बांध बनाकर यमुना नहर बनायी जानी चाहिए जिससे बुन्देलखण्ड की सिंचाई की समस्या का समाधान हो सके;

(xii) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मौजूदा तालाबों के अलावा खेतों में जगह-जगह वर्षा जल एकत्र करने के लिए पक्के तालाब बनाए जाने चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसान पक्के तालाब से अपने-अपने खेतों की सिंचाई कर फसलों से पैदावार कर सकें और इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना चाहिए;

(xiii) इस क्षेत्र से पलायन रोकने हेतु मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत 100 दिन से ज्यादा रोजगार देने हेतु योजना में संशोधन कर पूरे वर्ष काम देने पर विचार होना चाहिए;

(xiv) इस क्षेत्र में फलदार वृक्ष लगाये जाने हेतु केन्द्रीय योजना के तहत एक समय सीमा के भीतर योजनाबद्ध तरीके से कार्य योजना का संचालन होना चाहिए;

(xv) इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु जमीन के नीचे पाइप लगाकर किसानों की फसलों की सिंचाई सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सके और किसानों की दशा में सुधार हो सके;

(xvi) बुंदेलखंड के किसानों को कृषि हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है;

(xvii) बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए, पलायन और किसानों द्वारा आत्महत्याएं पूरी तरह से रोकने के लिए सभी वर्गों के 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए;

(xviii) चूंकि यह क्षेत्र शैक्षिक रूप से भी बहुत पिछड़ा है इसलिए शैक्षिक नीति में इस क्षेत्र के लिए पृथक् विशेष उपबंध होना चाहिए;

(xix) बुंदेलखंड क्षेत्र में बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति रियायती दरों पर की जानी चाहिए; और

(xx) किसानों की फसलों को जंगली जानवरों और नीलगायों से बचाने हेतु केंद्र सरकार को प्रत्येक न्याय पंचायत में एक पशु संरक्षण केंद्र और एक गौशाला की व्यवस्था करनी चाहिए।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह निजी संकल्प इसलिए लाया हूँ, क्योंकि मैं बुंदेलखंड की धरती पर पैदा हुआ हूँ और वहाँ की आपदाओं से, वहाँ की परेशानियों से परिचित हूँ। मैंने परेशानियाँ झेली हैं, देखी हैं। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वह 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं- झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश के 7 जिले आते हैं, जिनमें छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, दतिया और ग्वालियर शामिल हैं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड लगातार 6-7 सालों से सूखे की चपेट में आ गया है। किसान वहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसलिए मैं यह संकल्प लाया हूँ। पिछले कई दशकों से बुंदेलखंड के किसान लगातार रोजगार की तलाश में बाहर

(उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) पीठासीन हुए)

पलायन कर रहे हैं। बुंदेलखंड में जंगली जानवरों और नीलगायों से किसानों की फसलों का भारी नुकसान होने से उनमें हताशा उत्पन्न हो रही है। बुंदेलखंड में वहाँ की जो कृषि है, वह वर्षा पर आधारित है। मान्यवर, मानसूनी वर्षा के आधार पर वहाँ का

एग्रीकल्चर है। वर्षा कम होने की वजह से वहाँ का किसान अपनी फसल की बुआई नहीं कर पाता है। लगातार कई वर्षों से सूखे के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम लोग संकल्प के रूप में चाहते हैं कि केन्द्र सरकार बुंदेलखंड के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था करे। एक केन्द्रीय दल वहाँ जाए, वह उसका अध्ययन करे। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे बुंदेलखंड में जो लगातार सूखा पड़ रहा है, वहाँ की फसलें निरन्तर कम होती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप किसान खेती से लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहा है। इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों एवं कुटीर उद्योग-धंधों की कमी के कारण रोजगार और वित्तीय आय की बहुत कमी है। नकदी फसलों के प्रतिकूल मूल्य निर्धारण तथा कारोबार के खुलेआम शोषण के कारण कृषि एक घाटे का कार्य बन गया है। यह उत्तर प्रदेश के किसानों में व्याप्त ऋण भार तथा हताशा का प्रमुख कारण बन गया है।

मान्यवर, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहाँ पीने के पानी की भी समस्या है, सिंचाई के लिए पानी की भी समस्या है। वहाँ यह भी देखा गया है कि अर्द्धरात्रि में किसान, जब वर्षा कम होती है और जब ओस पड़ती है, उसमें भी वह सोचता है कि थोड़ी ओस पड़ गई, तो उसमें भी बुआई करने का प्रयास करता है, लेकिन वह भी कारगर नहीं हो पाया है।

(3बी/वीएनके पर जारी)

VNK-KSK/3B/4.45

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : जहां तक पीने के पानी की समस्या है, उस संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाठा क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से कर्जा लेने का काम किया था और उसके लिए एक बहुत बड़ी परियोजना बनाई गई थी, लेकिन आज तक पाठा क्षेत्र, बुंदेलखंड की पानी की समस्या उसी तरह से बनी हुई है। वहां का किसान निरंतर हताश हो रहा है। वैसे बुंदेलखंड खनिज संपदाओं का भंडार है। जो बड़े-बड़े खनिज माफिया हैं, चाहे वे उत्तर प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हों, पूरे देश के खनिज माफिया वहां पर कब्जा जमाए हुए हैं। जितने बड़े-बड़े पहाड़ थे, उनमें खनन होते-होते पहाड़ 100-100 मीटर नीचे चले गए। खनन के कारण वहां के पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अगर आप वहां पर दिन में भी जाएं, तो वहां पर अंधेरा लगता है, क्योंकि खनन के कारण वहां पर बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। वहां पर इसके कारण किसान की पूरी फसल बरबाद हो जाती है।...(व्यवधान)...

श्री शिव प्रताप शुक्ल : इस संकल्प को अपनी सरकार से कराया होता, जिसने यह सब कराया। ...(व्यवधान)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : अब आपकी सरकार केन्द्र में भी है और प्रदेश में भी है, इसलिए आपसे यह मांग कर रहा हूँ कि आप इसको कराइएगा, क्योंकि आपके पास भारी बहुमत है।...(व्यवधान)... अगर आप नहीं कराएंगे, तो 2019 में आप बाहर हो जाएंगे।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : ठीक है, आप अपनी बात कहिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, खनन के कारण किसानों के खेत में धूल की एक लेयर जम जाती है और वहां पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, इसके कारण वे नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके कारण वहां के लोग कैंसर, टीबी आदि जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। वहां के जो किसान हैं, गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, जो दिहाड़ी पर 100 रुपए या 50 रुपए में काम करते हैं, वे अपना इलाज नहीं करा पाते हैं।

मान्यवर, भारत सरकार ने 'स्वच्छता अभियान' भी चलाया है। 'स्वच्छता अभियान' के तहत बड़े पैमाने पर हर घर में शौचालय बनाए जाने हैं। उसके लिए भी बुंदेलखंड की ही मोरम, बालू, गिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। जब छत पड़ती है, तो बुंदेलखंड के ही ग्रेनाइट से पड़ती है। उधर की नदियों की लाल मोरम प्रसिद्ध है, वह दूर-दूर तक जाती है। वहां के निवासियों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर लोग आते हैं और खनन करके चले जाते हैं, लेकिन इससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। जिस एरिया में खनन कार्य हो रहा है, जहां नदियां हैं, वहां के निवासियों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। हम फिशरमैन कम्युनिटी से हैं। पहले जब देश में सड़कें नहीं थीं, यातायात के साधन नहीं थे, तब नदियों से सारा व्यापार होता था। आज गर्मी का मौसम है और हमारे फिशरमैन समाज के लोग नदियों के किनारे सब्जियां, खीरा, खरबूज, तरबूज आदि पैदा करने का काम करते हैं। हमारे फिशरमैन समाज के लोग नदियों के किनारे बालू में सब्जियां पैदा करने का काम करते

हैं और वहां से सब्जियां पूरे देश में जाती हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज वहां पर किसान पेरशान है और वहां पर सबसे बड़ी समस्या 'अन्ना प्रथा' की है। वहां पर झुंड के रूप में हजारों देशी गायें, नील गायें तथा अन्य जंगली जानवर किसान की फसल को नष्ट कर देते हैं। इससे वहां का किसान पूरी तरह से तबाह और बरबाद हो गया है। वहां पर किसान रात-रात भर अपनी फसल की रखवाली करने का काम करता है। आज भी वहां पर किसान खेत में पड़ा हुआ है। अगर रात में नींद आ गई, तो पता चला कि नील गायों का झुंड आया और पूरा खेत चट कर गया। इसके लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। केन्द्र सरकार और हमारे मंत्रीगण चाहते हैं.... अभी दूसरे संकल्प पर चर्चा हो रही थी... हम चाहते हैं कि गौशालाएं बनें।

(3सी/एनकेआर-जीएसपी पर जारी)

NKR-GSP/3C/4.50

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : देसी गायें वहां इतनी ज्यादा तादाद में घूम रही हैं, जब तक गायें दूध देती हैं, लोग उन्हें रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसी हजारों गायें वहां लावारिस घूम रही हैं जो किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वहां एक-एक गौशाला बने और गौमूत्र से जितनी औषधियां या दवाएं बनती हैं, वहां उनका उत्पादन हो। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार केवल बुन्देलखंड के लोगों को ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी, वहां उपलब्ध गौमूत्र और उससे बनी औषधियों से लाभ पहुंचाने का काम करे।

बुन्देलखंड में तालाबों की भरमार है। वहां करीब 7800 पुराने तालाब हैं। दोनों प्रदेशों में बुन्देलखंड के जो 13 जिले हैं, उनका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। हम अखिलेश यादव जी को बधाई देंगे कि पिछले साल, जब वहां सूखा पड़ा, उन्होंने 100 तालाबों की लगभग एक महीने के अंदर खुदाई कराई, जबकि 50 साल से उनकी खुदाई नहीं हुई थी। इस साल हमें देखने को मिला कि वे सभी तालाब लबालब भर गए, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिला। आज भी सभी तालाब उसी तरह पानी से भरे हैं। चरखारी नाम की हमारे यहां एक जगह है, जहां चंदेलों के 7 तालाब एकसाथ connected हैं। उनमें पानी कभी नहीं सूखता था, लेकिन पिछले साल भयंकर सूखे के कारण, उनमें से कई तालाब सूख गए, जिससे वहां पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई। बुन्देलखंड में कई बाँध हैं, जहां से पीने का पानी और सिंचाई का पानी किसानों को मिलता है और बिजली भी पैदा की जाती है। हमारे यहां माताटीला बाँध है, राजघाट बाँध है, अर्जुन बाँध है, उर्मिल बाँध है, सपरार बाँध है। इन डैमों से बुन्देलखंड के लोगों का पूरा जीवन-बसर होता है। लोगों को पीने का पानी मिलता है और किसानों को सिंचाई का साधन मिलता है। जिस साल बारिश कम होती है, ये डैम सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं। हम यह संकल्प इसलिए लाए हैं ताकि बुन्देलखंड के लिए यह सरकार विशेष व्यवस्था करे। जब चुनाव आते हैं, उस समय हर पार्टी कहती है कि हम वहां के लोगों के लिए काम करेंगे। कुछ लोग राज बनाने के लिए वादे करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पहले आप वहां कुछ व्यवस्था तो करिए। जो लोग वहां भूखे मर रहे हैं और भूख के कारण यहां तक देखा गया है कि लोगों द्वारा बच्चों को बेचने तक की

घटनाएं सामने आई हैं। आत्महत्याएं हजारों की तादाद में वहां होती हैं, इसलिए बुन्देलखंड की यह गम्भीर समस्या है।

मेरा निवेदन है कि भारत सरकार इस वर्ष के बजट में एक सरकारी संकल्प लाए। हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुलायम सिंह जी ने, जब 1989 में उनकी प्रदेश में सरकार थी, वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को देखते हुए बुन्देलखंड विकास निधि की स्थापना की थी। राजांश के रूप में, जिलांश के रूप में, 100-200 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार अपने बजट में व्यवस्था कर देती थी। हम चाहते हैं कि उसी तरह से भारत सरकार भी वहां के लोगों को बचाने के लिए, लोगों के पलायन को रोकने के लिए, वहां होने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए, अलग से बुन्देलखंड निधि की तरह कोई केन्द्रीय निधि बनाए, बजट बनाए जिससे बुन्देलखंड के लोगों का पलायन रुक सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में बुन्देलखंड एक रेगिस्तान का रूप धारण कर लेगा। बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। वहां पानी को लेकर इतनी परेशानी होती है कि जब कुएं सूख जाते हैं, तो रात में 12 बजे के बाद, जो जल्दी उठा, जैसे ही 20-25 बालटी पानी कुएं में इकट्ठा हुआ, वह 4-6 बालटी पानी भरकर ले जाता है और बाकी जो लोग लेट हो गए, वे पानी से वंचित रह जाते हैं।

(DS/3D द्वारा जारी)

DS-SK/4.55/3D

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : वहाँ हमीदपुर और इचौली आदि 8-10 गाँवों के ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ लोग अपनी बच्चियों की शादी नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि

अगर हम अपनी बच्चियों की वहाँ शादी करेंगे, तो हमारी बच्चियों को वहाँ रात में पानी भरने जाना पड़ेगा। वहाँ के लोग कहते हैं कि खाना तो खा लीजिए, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ यह स्थिति है। पाठा क्षेत्र में कहावत है कि *खसम चाहे मर जाए, लेकिन हमारी गागर न फूटे।* मतलब, वहाँ पानी का इतना महत्व है!

पिछले वर्ष देश में जब सूखा पड़ा, तो उससे करीब 13 राज्य प्रभावित हुए। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में ज्यादा था। भारत सरकार ने वहाँ एक खाली ट्रेन भेज दी। वहाँ जब वह ट्रेन खड़ी थी, तो एक पत्रकार ने सोचा कि मैं उसकी फोटो ले लूँ। जब वह पत्रकार झांसी में उस ट्रेन में चढ़कर उसकी फोटो खींचने लगे तो वे ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। बुंदेलखंड के लोगों को पानी तो नहीं मिला, लेकिन हमारा एक पत्रकार शहीद हो गया।

मान्यवर, माननीय अखिलेश यादव जी ने पानी के लिए सुझाव दिया, तो कहा गया कि ठीक है, हम कहीं से ट्रेन में पानी भरकर वहाँ भेज देंगे। रेल के किनारे सारी आबादी तो रहती नहीं है, बल्कि आबादी गाँव में रहती है। जब वहाँ के लिए टैंकर की आवश्यकता हुई, तो केन्द्र सरकार से साढ़े 10 लाख करोड़ रुपये की माँग की गई, ताकि वहाँ के लोगों तक पानी पहुँचाया जा सके। चूंकि केन्द्र सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए इनकी तरफ से पैसा नहीं मिला। जो सूखे के लिए पैसा माँगा गया था, वह पैसा भी नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जिस तरह से बुंदेलखंड में तमाम भयावह स्थिति है, उसके लिए अलग से एक लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाए, जिससे वहाँ के लोगों के लिए और सिंचाई के लिए तमाम चीज़ों की व्यवस्था हो सके।

मान्यवर, बुंदेलखंड में जो लोग हैं, वे बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। वहाँ की स्थिति यह है कि बैंक मैनेजर बिना रिश्वत लिए उनका क्रेडिट कार्ड नहीं बनाते और जब उनका रिन्यूअल करना होता है, तो उसके लिए भी वे पैसे लेते हैं। जब वहाँ सूखा पड़ जाता है, तो बीमा कंपनियाँ उनको फसल दुर्घटना बीमा नहीं देतीं, जबकि वे उनके खाते से किश्त तो काट लेती हैं। इस प्रकार की तमाम घटनाओं की जानकारी हमें मिली है। हम लोगों ने ये तमाम मामले उठाए हैं कि किसानों ने अगर फसल दुर्घटना बीमा के तहत फसल के लिए, बीज के लिए या सिंचाई के लिए क्रेडिट कार्ड लिया है और अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो उनको बीमे की रकम मिलनी चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी को बधाई दूँगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 5 लाख रुपये देने की व्यवस्था की। उसके अंतर्गत किसी भी किसान का कहीं ऐक्सिडेंट हो जाता है या उसके साथ कोई घटना हो जाती है अथवा उसको कोई पागल कुत्ता या सियार काट लेता है और अगर उसके नाम पर एक बिस्वा भी जमीन है, तो उसको 5 लाख रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार की व्यवस्था मैं भारत सरकार की तरफ से भी चाहता हूँ कि जैसी उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, उसी प्रकार से पूरे देश में व्यवस्था कर दी जाए। एक किसान के लिए 5 लाख रुपये की राशि तो कम है, इसलिए आप 10 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था करें। आप किसान दुर्घटना बीमा के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की

व्यवस्था कर दें, ताकि हमारा किसान, जो इस आपदा से परेशान है, उसको कुछ राहत मिल सके। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : अभी आप और कितनी देर बोलेंगे? ढाई घंटे पूरे होने में अभी पाँच मिनट बचे हैं। ...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी) : सर, दो मिनट ही बचे हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : यह पाँच मिनट लेट शुरू हुआ है, इसलिए पाँच मिनट आगे लिया जाए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि बुंदेलखंड के किसानों के सामने जिस तरह की परेशानी और आपदा है, उससे वे बदहाल और परेशान हैं। वहाँ न तो कोई कुटीर उद्योग-धंधा है और न ही वहाँ कोई रोजगार का साधन है। वहाँ का नौजवान वहाँ से बाहर निकलकर मुम्बई और सूरत जैसे शहरों में पलायन करता है। अभी जो नोटबंदी हुई, उसके कारण पूरे देश के उद्योग-धंधे बंद हो गए।

(3ई/एमसीएम पर जारी)